न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,
बगहा, प0 चम्पारण।

Naurangiya P.S. No.- 31/2018
G.R. No.- 514/2018
C.I.S. No.-514/2018

04.06.2026

अभिलेख अनुसंधानक द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन संख्या– 40/2018 दिनांक 28.05.2018 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। अंतिम प्रतिवेदन पर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी अंतर्गत धारा147,149,323,324,379,354,406,420,504/34 भारतीय दण्ड विधान के तहत लक्ष्मण वर्मा, बेबी कुमारी, विशाल कुमार, मोहन वर्मा, राम वर्मा, तारा देवी, अंजली कुमारी, पुनम देवी, पारसनाथ वर्मा एवं सुरेन्द्र वर्मा के विरुद्ध दर्ज की गई है।

अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानक द्वारा मामला असत्य पाते हुए, अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। अंतिम प्रतिवेदन पर सुनवाई हेतु सूचक के विरुद्ध नोटिश निर्गत किया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 30.05.2018 को सूचक द्वारा विरोध पत्र दाखिल किया गया है। परन्तु आज बार बार पुकार पर न तो सूचक स्वयं उपस्थित हुआ और न ही सूचक की ओर से कोई विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

प्राथमिकी, अंतिम प्रतिवेदन एवं कांड दैनिकी में वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचारोपरांत न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में आदेशिका निर्गत किए जाने हेतु सामग्री नहीं है। परिणामतः अनुसंधानक द्वारा समर्पित अंतिम प्रतिवेदन संख्या– 40/2018 दिनांक 28.05.2018 को स्वीकृत किया जाता है तथा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही सूचक के द्वारा दिनांक 30.05.2018 को दाखिल विरोध पत्र को परिवादपत्र के रुप में प्रारंभ किया जाता है। कार्यालय लिपिक सूचक के द्वारा दिनांक 30.05.2018 को दाखिल विरोध पत्र को परिवादपत्र के रुप में दर्ज करने हेतु अभिलेख अविलंब संबंधित न्यायालय को भेजें।

आदेशित
Sd/-
अविनाश कुमार
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, द्वितीय,
बगहा, प0 चम्पारण।

आदेश की तिथि	04.06.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	कुछ नहीं
आदेश अपलोड करने की तिथि	04.06.2026
अपलोड करने वाला	कोर्ट रीडर–कम–डिपोजिशन राईटर